

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/संपुष्टि-6-9/13-

राँची, दिनांक :-

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2422 दिनांक 13.10.05 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय आदेश सं०-234 दिनांक 11.11.06 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय ए० सी० पी० के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

साथ ही वित्त विभाग के संकल्प सं०-10770 दिनांक 30.12.81 की कंडिका 02 में निहित प्रावधान के अंतर्गत श्री शर्मा को दिनांक 01.04.81 के प्रभाव से औपबंधिक रूप में स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि की जाती है।

क्रम सं०	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/ आई०डी० कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	सुनिश्चित वित्तीय उत्क्रमण योजना के तहत द्वितीय लाभ वेतनमान 10,000-15,200 प्रदान करने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री सत्यानन्द शर्मा/ जे०-2136/05.11.44 गालूडीह दाया नहर प्रमंडल सं०-01, मुसाबनी	21.01.67	09.08.99	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त ए० सी० पी० के तहत प्रदत्त लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

(कृ० प० उ०)

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता ईचा गालूडीह, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियन्ता गालूडीह दाया नहर प्रमंडल सं०-01, मुसाबनी /श्री सत्यानन्द शर्मा, कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

5920

राँची, दिनांक -

7-10-13

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (प्र०)-प्रशाखा-02/बायेडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/
वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-37 / 2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-262 दिनांक 27.01.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री बबन प्रसाद सिंह जे 4646 / 04.07.50 / सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, देवघर	09.02.79	09.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह को श्री बबन प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता का सेवापुस्त (मूल) तीन भाग के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6092 राँची, दिनांक :- 19.10.13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-22 / 2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गोरख प्रसाद सिंह जे 5982 / 10.07.51 / सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	02.02.79	02.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर / कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6091 राँची, दिनांक :- 19.10.13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र.)